

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 136/2018-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

तुरवा प्रधान

- विक्रेता

दशमी देवी

- क्रेता

(1)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
20/08/18	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक तुरवा प्रधान पिता स्व0 बिरसा प्रधान ग्राम कमन्ता, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने दशमी देवी पति भरत नायक ग्राम जियारप्पा, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="277 667 1338 751"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं0</th> <th>खाता नं0</th> <th>खेसरा सं0</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कमन्ता</td> <td>79</td> <td>42</td> <td>495</td> <td>0.04½</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0140591400 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 744 दिनांक 20.08.2018 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम भरकु प्रधान वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार टेम्पो प्रधान वगैरह है। आवेदक के पास रकवा 4.55 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 27092.00(सत्ताईस हजार बानबे)रु0 प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि वि क्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 4.50½ एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण तुरवा प्रधान पिता स्व0 बिरसा प्रधान को दशमी देवी पति भरत नायक के साथ ग्राम कमन्ता के खाता सं0 42 खेसरा संख्या 495 का रकबा 0.04½ एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 27092.00(सत्ताईस हजार बानबे)रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि वि क्रय की अनुमति दी जाती है।</p> <p style="text-align: right;">भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: right;">भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p> <p>अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p>	ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)	कमन्ता	79	42	495	0.04½	
ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)								
कमन्ता	79	42	495	0.04½								